

कार्यालय आदेश संख्या -442/NG/2019/Engg./SPJ

श्री बिमल चन्द्र बिमल पुत्र श्री राज नारायण राम, ट्रैकमैन्टेनर-1, गुंतकल मंडल, दक्षिण मध्य रेलवे, वेतनमान-5200-20200+2800, लेवल-5 (पदावनत पद ट्रैकमैन्टेनर-IV लेवल-1) जिनका अंतर रेलवे निजी अनुरोध स्थानान्तरण महाप्रबंधक (कार्मिक)/हाजीपुर का पत्र संख्या:- ECR/HRD/283/IRT/Engg./TM/16 Dated 25.11.2016 के द्वारा स्वीकृत है, तथा मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/गुंतकल मंडल का पत्र संख्या:- SCR/P-GTL/W.3/222/IDRT/Vol.III, Dated 26.08.2020 के द्वारा विरमित होकर इस मंडल में पदस्थापना हेतु दिनांक 01.09.2020 को रिपोर्ट किये हैं।

इनके इस मंडल में रिपोर्ट करने की तिथि 01.09.2020 से 03.09.2020 तक प्रतीक्षारत अवधि तथा दिनांक 04.09.2020 को इस मंडल के पत्र सं० का/283/इंजी/V/स्थानान्तरण/04/सम० दिनांक 03.09.2020 को गुंतकल मंडल हेतु वापस कर दिया गया था। कर्मचारी द्वारा मरेप्र महोदय से साक्षात्कार के उपरांत वमकाधि महोदय के आदेश एवं वमई(समन्वय) के पदस्थापना आदेश के आलोक में श्री बिमल को सिसेई(पीवे)/बनमंखी के अधीन ट्रैकमैन्टेनर-IV लेवल-1 के पद पर पदस्थापित किया जाता है। कर्मचारी दिनांक 04.09.2020 से 10.09.2020 तक औसत वेतन अवकाश पर रहे हैं एवं आज दिनांक 11.09.2020 को अपराहन से पदस्थापना हेतु विरमित किया जाता है।


उक्त स्थानान्तरण, कर्मचारी के अन्तर रेलवे निजी अनुरोध पर है, अतः इन्हें स्थानान्तरण पर मिलने वाली कोई भी सुविधा देय नहीं है।

उपरोक्त सक्षम अधिकारी द्वारा आदेशित है।

श्री बिमल चन्द्र बिमल का फोटो, हस्ताक्षर एवं बांये अंगूठे का निशान अधोहस्ताक्षरी द्वारा अभिप्रमाणित है।



Bimal chandra "Bimal"



(आर.आर.लकड़ा)
मंडल कार्मिक अधिकारी
कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
समस्तीपुर
दिनांक 11.09.2020

स०-का/283/अभि०/V/स्थानान्तरण 04/सम०

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)/गुंतकल मंडल, दक्षिण मध्य रेलवे - पिन कोड-515801, कृपया उपरोक्त कर्मचारी का ए०पी०ए०आर० एवं सेवा अभिलेख विधिद्वारा परान्त इस मंडल को अविलम्ब भेजने की व्यवस्था करें।
02. वमई(समन्वय)/समस्तीपुर।
03. वमविप्र/समस्तीपुर।
04. समई/सहरसा।
05. सिसेई(पीवे)/बनमंखी -उक्त कर्मचारी का योगदान देने संबंधी सूचना इस कार्यालय को दें।
06. मुकार्याधी/अभि० संवर्ग-उक्त कर्मचारी का अन्य आवश्यक कारवाई सुनिश्चित करे।
07. मुकार्याधी/विविध बिल, कार्यालय में।
08. मुकार्याधी/अनुश्रवण प्रकोष्ठ।
09. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू, ओबीसी एवं अजा-अजजा एशो०/सम० मंडल।
10. संबंधित कर्मचारी-आप सिसेई(पीवे)/बनमंखी को रिपोर्ट करें।
11. अभिलेख हेतु।

कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
समस्तीपुर
मंडल कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर